1. यह दावा/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा....188/189
का द्वारा श्री...कपिल शर्मा....के द्वारा प्रस्तुत हुआ है।
2. कोट फीस पूर्ण है।
3. क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है।
4. दस्तावेज या सम्मन तलवाना संलग्न है।
5. वाद द्वितीय प्रति संलग्न है। रिपोर्ट अवलोकनार्थ
सादर प्रस्तुत है।

02/7/21

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय — शाखा लिपिक/रीडर

दर्ज करें।

सम्मन जारी करें

2/7/21

2.7.21 दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दि. 27.7.21 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

27.7.21 वकील वादी उप०। प्रतिवादी की तामील नियमानुसार जारी हो। वादी द्वारा कमिश्नर नियुक्त किये जाने का प्रा० पत्र एवं सूची दस्तावेज पेश किया गया तथा दिनेश सिंह द्वारा प्रा० पत्र अंतर्गत आदेश 1 R 10 CPC बनाए जाने पक्षकार प्रस्तुत किया गया। जिसकी नकल वकील वादी को दिलाई गई। वास्ते जवाब उक्त प्रा० पत्र व तलबी प्रतिवादी दि० 4.8.21 को पेश हो।

4/8/21...पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/~~बाहर पधारे हैं।~~
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक....1/9/21
को पेश हो।

रीडर

1-9-21 आज बार द्वारा कार्य स्थगन है। वास्ते जवाब व तलबी प्रति० दि० 29-9-21 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned with CamScanner

ओमप्रकाश / मन्नीलाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
15-9-21	आज दि. 15.9.21 को प्रार्थी के प्रा-पत्र पर पत्रावली आगामी तारिख पेशी से तलब की गई। पक्षकारान द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा मय संलग्न बाहमी समझौता फोटोप्रति सत्यापित नोटेरी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान के दरमियान लोक अदालत की प्रेरणा से राजीनामा/समझौता हो गया है। राजीनामा व समझौता शामिल मिसल किया गया। अत: समझौता/राजीनामा आपसी सहमति पक्षकारान से बाद तस्दीक राजीनामा वाद वादी उसकी प्रार्थना के अनुसार खारिज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	उप जिला कलेक्टर किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned with CamScanner